

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य- दिनांक 13/7/2022 थाना हलियापुर जनपद सुलतानपुर



दिनांक 13/07/2022 को थाना हलियापुर में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के निर्देशन में एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बल्दीराय के कुशल नेतृत्व में थाना हलियापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के टाप -10 अपराधी तथा दुश्चरित्र अभियुक्त जिसका HS NO.45 A अभियुक्त विनोद कुमार सिंह उर्फ कल्लू पुत्र रामचन्दर सिंह निवासी ग्राम कांकरकोला थाना हलियापुर जनपद सुलतानपुर के विरुद्ध श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद सुलतानपुर के दिनांक 13.5.2022 मे जिलाबदर का आदेश पारित हुआ था। अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा जिलाबदर आदेश की अवहेलना करते हुए थाना क्षेत्र के कांकरकोला मोड पर मौजूद था जिसको गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.116/2022 धारा 10 उ.प्र.गुण्डा नियन्त्रण अधि. पंजीकृत कर माननीय न्यायालय सुलातनपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तारी का स्थान- कांकरकोला मोड ग्राम हलियापुर

गिरफ्तार करने वाली टीम – 1.उ.नि. अनिल कुमार तिवारी

2. आरक्षी पंकज यादव

3. रि० आ० सूरज यादव

नाम पता अपराधी	अपराधक इतिहास				
	क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
9. वनोद कुमार सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह नि० ग्राम कांकरकोला थाना ह लयापुर सुलतानपुर	1	34/2001	304/147/308/323/504/506 IPC	ह लयापुर	सुलतानपुर
	2	289/2003	379/332/323/504/506 IPC	ह लयापुर	सुलतानपुर
	3	320/2003	3 यू०पी० गुण्डा अध०	ह लयापुर	सुलतानपुर
	4	134/2005	147/148/149/302IPC व 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट	ह लयापुर	सुलतानपुर
	5.	144/2005	3/25 आर्म्स एक्ट	ह लयापुर	सुलतानपुर
	6.	21/2004	323/504IPC	ह लयापुर	सुलतानपुर
	7.	116/2022	10 उ.प्र.गुण्डा नियन्त्रण अधि.	ह लयापुर	सुलतानपुर